260

निशानी 2148-I-15

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–टीकमगढ़

1. जगोले अहिरवार पुत्र श्री लोटा अहिरवार
2. खिल्लू अहिरवार पुत्र श्री भरोसा अहिरवार
3. दिब्बू अहिरवार पुत्र श्री भरोसा अहिरवार

निवासीगण– ग्राम बम्हौरी बराना तहसील लिधौरा जिला--टीकमगढ़ (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

बच्चू अहिरवार पुत्र श्री लुगईयॉ अहिरवार निवासी – ग्राम बम्हौरी बराना तहसील लिधौरा जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/स्वमेव निग./2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर सविनय प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य</u> :–

1. यहकि, नामान्तरण पंजी पर पारित आदेश के अनुसार अनावेदक को भूमि मध्य प्रदेश ग्रामो की दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी। और भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किये गये थे, जबकि उसका उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा सन् 1984 से नही रहा है, न ही भू–अभिलेख में अंकित है और इस विषय में इस तथ्य की जॉच भी नहीं की गयी है। इस प्रकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही कर आंवटन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, उपरोक्त विवादित भूमि का आवंटन आवेदकगणों को शामिल रूप से किया गया था। और वह अपने–अपने हिस्सो पर काबिज होकर कास्त कर रहे है। इस स्थिति को छुपाकर अनावेदक निवासी ग्राम बम्हौरी में स्थित भूमि खसरा नं. 333/6 रकवा 1.002 है0 स्थित ग्राम फिरोजपुरा की भूमि के संबंध में भू–राजस्व संहिता की धारा 115,116 के अन्तर्गत अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2148-एक/2015 जिला टीकमगढ़ जगोले विरूद्ध बच्चू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 7/स्वमेव निगरानी/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 18-05-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01/2/2019 सदस्य	